

Name of the Guest Teacher - Khushbu Kumari,
dept. of Political science, V.S.S. College, Rajnagar, Inmu

राज्य की प्रकृति के संबंध में एक अन्य सिद्धान्त 'वर्ग सिद्धान्त' है। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन काल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजिल्स के द्वारा किया गया है। मार्क्स राज्य की एक स्वामाविक और नैतिक संस्था नहीं, बल्कि एक वर्गीय संस्था मानता है। मार्क्स राज्य के उदय का कारण वर्ग विरोध बताता है और राज्य की वर्गीय प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहता है कि आदिम साम्यवादी अवस्था में समाज के सदस्यों के बीच हिंसा का कोई संघर्ष नहीं होने के कारण राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था लेकिन दाल - प्रथम के युग में स्वामी और दाल के संबंधों के उदय से स्थिति बदल गयी। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। और बहुसंख्यक समाज के विषय अपनी स्थिति बनाये राजन के लिए उन्हें शक्ति का आश्रय लेना पड़ा। इसके द्वारा लेना पुलिस न्यायालय कारागार आदि की व्यवस्था की गयी और इन संस्थाओं पर शौचक वर्ग के सदस्यों के अधिकार स्थापित हुआ। यही ही राज्य संस्था का सुरुवात हुआ। इस प्रकार राज्य संस्था का निर्माण एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर नियंत्रण राजन के लिए ही किया गया।

सामन्तवादी युग में वह बहुसंख्यक किसान जनता के शोषण का लाधन बनी और आज के पूंजीवादी युग में पूंजीवादी वर्ग राज्य संस्था की लहायता से श्रमिक वर्ग शोषण करता है। मार्क्स और एंजिल्स के अनुसार राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसका कार्य शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करना और शोषित वर्ग के अधिक अधिक शोषण की और प्रवृत्त करना है।

मार्क्स का विचार है कि राज्य श्रमिकों पर अपना नियंत्रण बनाये रखने के लिए ही स्कूल और धार्मिक संस्थाओं का उपयोग भी करता है। शिक्षण संस्थाओं में उन्हें यह सिखाया जाता है कि राज्य के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए और मनुष्यों के हितों का अपनाया जाना चाहिए। इसी प्रकार मादर, मास्टर, गिरजाघर आदि में उन्हें यह बतलाया जाता है कि राज्य के आदेशों का विरोध करना पाप है। राज्य का को विमर्द की प्रकृति पर बल देते हुए मार्क्स कहता है कि वर्ग विमर्द समाप्त हो और वर्गविहीन समाज की स्थापना हो जाने पर 'राज्य विधुप्त हो जाएगा'।

राज्य की प्रकृति के वर्ग सिद्धान्त की प्रमुख मान्यताएँ इस प्रकार हैं -

- (i) राज्य का उद्यम वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति का पारणाम है।
- (ii) राज्य शाक्ति पर आधारित है और राज्य अपनी शाक्ति द्वारा पूँजीपति वर्ग के हितों को रक्षा का कार्य करता है।
- (iii) राज्य पूँजीपतियों की शक्तियों का विरोधी है और उसके विकास में बाधक बनता है।
- (iv) राज्य की सहायक संस्थाएँ, जो औद्योगिक, धार्मिक, सामाजिक-परोपकारी क्षेत्रों में कार्य करती हैं, शोषक वर्ग के हितों की रक्षा करती हैं।
- (v) सामाजिक दशाएँ बदलने पर राज्य का स्वल्प परिवर्तन होता दिखायी देता है, किन्तु उसकी मूल प्रवृत्ति, शोषण की प्रवृत्ति बनी रहती है।
- (vi) वर्ग विरोध समाप्त होने पर कहीं समाज की स्थापना होने पर राज्य स्वतः ही विलुप्त हो जाएगा।

वर्ग सिद्धान्त की धारणा

- (1) राज्य एक वर्गीय संगठन नहीं, वरन् एक स्वभाविक और नैतिक संगठन है।
- (2) वर्तमान राज्य सर्वदारा वर्ग का शत्रु न होकर मित्र है।
- (3) राज्य अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी है।
- (4) राज्य के विलीनीकरण की धारणा काल्पित है।

निरूपण -

राज्य की प्रकृति के वर्ग सिद्धान्त की
आलोचना की जाती है और यह स्पष्ट
नहीं है कि राज्य संस्था स्वभाविक है
और मानव स्वभाव तथा जीवन के
साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी होने के
कारण यह सत्य बनी रही, लेकिन
इसके साथ ही यह एक तथ्य है कि
वर्तमान समय का राज्य प्रत्यक्ष या
परोक्ष रूप में साधन-सम्पन्न वर्ग
के हितों का रक्षक बना हुआ है
और राज्य शोषण तथा के स्थान
पर जनकल्याणकारी संस्था का रूप ग्रहण
कर सके इसके लिए राज्य के ढांचे
और हमारे समस्त व्यवस्था
परिवर्तन निरन्तर आवश्यक हैं।